न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी — **अन्तर सिंह नेहरा**
आई.ए.एस.

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
56 / प्रा0पत्र / 15	12.05.2015	17.06.2020

राजस्थान सरकार जरिये
तहसीलदार, इन्द्रगढ (जिला बून्दी)

— प्रार्थी

बनाम

गंगाराम आ. भवाना कौम मीना,
निवासी ग्राम धरावन, तहसील एवं जिला बून्दी

— अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 17(4) राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम,1954

उपस्थित—
प्रार्थी की ओर से पेरोकार सरकार।
अप्रार्थी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।

निर्णय

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अप्रार्थी गंगाराम आ. भवाना जाति मीना, निवासी ग्राम धरावन को किये गये भूमि आवंटन खसरा संख्या 312 रकबा 2 बीघा 09 बिस्वा एवं 574 रकबा 09 बिस्वा वाकेग्राम धरावन आवंटन आदेश दिनांक 17.06.1976 को निरस्त किये जाने हेतु नियम 17(4) राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है। मूल आवंटन पत्रावली प्रार्थना पत्र के संलग्न प्राप्त हुई।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर, दर्ज रजिस्टर किया जाकर, अप्रार्थी वास्ते जवाब जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी का नोटिस उसके पुत्र मुकेश पर तामील होकर प्राप्त हुआ, किन्तु बावजूद सूचना उपस्थित न्यायालय नहीं आने पर अप्रार्थी के विरूद्ध दिनांक 15.06.2020 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

जिला कलेक्टर, बून्दी

बहस पेरोकार सरकार सुनी गयी ।

न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.) सत्यमेव जयते

पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि वादग्रस्त आराजी अप्रार्थी को दिनांक 17.06.1976 को आवंटन की गई थी, आवंटी द्वारा आवंटित भूमि पर कब्जा लेकर काश्त नहीं की गई और न ही आरक्षित मूल्य भी जमा करवाया गया है। उक्त आराजी पर मौके पर खाली पड़त है। जिस कारण आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं किया जाना प्रमाणित है। ऐसे में आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं किये जाने से प्रार्थी का प्रा0पत्र स्वीकार कर आवंटन निरस्त किया जाकर भूमि सिवायचक दर्ज रैकार्ड की जावें।

न्यायालय ने पत्रावली एवं उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया एवं बहस पर गहनता से मनन किया। आवंटी गंगाराम आ. भवाना जाति मीना, निवासी ग्राम धरावन को मिसल संख्या 2647 दिनांक 17.06.1976 को ग्राम धरावन (तत्कालीन तहसील के.पाटन) की आराजी खसरा संख्या 312 रकबा 2 बीघा 09 बिस्वा एवं 574 रकबा 09 बिस्वा भूमि का आवंटन किया जाना प्रकट है। आवंटन पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार के.पाटन द्वारा आवंटी को जारी नोटिस दिनांक 15.11.1989 से आवंटी के विरूद्व आवंटन के पेटे 1142/— रू. की राशि बकाया होना जाहिर है। पत्रावली के संलग्न नकल खसरा गिरदावरी संवत् 2068 से 2071 में उक्त आराजी पड़त होना अंकित है। जिससे आवंटी का वादग्रस्त आराजी पर कब्जा काश्त नहीं होना एवं आवंटन शर्तो की पालना नहीं किया जाना प्रमाणित होता है। आवंटी द्वारा आवंटन में रूचि नहीं लेने से कृषि प्रयोजनार्थ किया गया उक्त आवंटन निरर्थक हो जाता है, इस प्रकार भूमि आंवटन का उद्देश्य पूर्ण नहीं होने से उक्त आवंटन को अस्तित्व में रखे जाने का कोई औचित्य नहीं है।

परिणामस्वरूप प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थी गंगाराम आ. भवाना जाति मीना, निवासी ग्राम धरावन को मिसल सं.2647 दिनांक 17.06.1976 को किया गया भूमि आवंटन ख.सं. 312 रकबा 2 बीघा 09 बिस्वा (वर्तमान खसरा संख्या 253 रकबा 0.38 हैक्टेयर) एवं ख.सं. 574 रकबा 09 बिस्वा (वर्तमान खसरा सं. 1001 रकबा 0.03 हैक्टेयर) ग्राम धरावन निरस्त किया जाता है। तहसीलदार इन्द्रगढ उक्त आराजी को नियमानुसार कब्जे सरकार लेकर सिवायचक दर्ज रेकार्ड करने की कार्यवाही करे।

आदेश आज दिनांक 17.6.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

17/6/20

(अन्तर सिंह नेहरा)
जिला कलेक्टर; बून्दी

कार्यालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.) सत्यमेव जयते

Signature Not Verified
Digitally signed by Antar Singh Nehra
Date: 2020.06.18 15:50:23 IST
Reason: SelfAttested
Location: